



# Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences

Raebareli Road, Lucknow 226 014

FAX: 91-522-2668017, 2668129  
Email: registrar@spggi.ac.in

Phones: 91 (522) 24945511

PGI/ER/ACAD/ 1903 /2019  
RSD # 9098/18

Date: 27-03-2019

## कार्यालय आदेश

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं० 24/2019/556/71-2-2019-के०जी०एम०यू०-14/2018 दिनांक 09 मार्च 2019 के अनुक्रम में स्थान के रेजीडेंट डाक्टर्स (सीनियर रेजीडेंट/जूनियर रेजीडेंट/सीनियर डिमान्स्ट्रेटर) को 7वें वेतन आयोग के अन्तर्गत प्रदत्त भत्ते संलग्न तालिकानुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में अनुमन्यता की तिथि 01.07.2017 से उन्ही दरों एवं शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार अनुमन्य किये जाने के एतद्द्वारा आदेश पारित किये जाते हैं।

उपरोक्त वर्णित शासनादेश द्वारा एस०जी०पी०जी०आई० के रेजीडेंट डाक्टर्स एवं सीनियर डिमान्स्ट्रेटर को अनुमन्य किये जाने वाले भत्ते:-

क्र०	भत्ते का नाम	दर	अभ्युक्ति
1	Dearness Allowance	9% of the basic pay	-----
2	House Rent Allowance	16% of basic pay excluding N.P.A.	As provided by AIIMS, New Delhi vide No. F-20-1/2018(A)-Estt.I, datd 14/01/2019. The rate of HRA will not be less than Rs.3600/-p.m. The rates of HRA will be revised to 18% when D.A. crosses 25% and further revised to 20% when D.A. crosses 50%. Note: If the accommodation will be provided on the SGPGI Campus. The H.R.A. is not admissible.
3	Non Practicing Allowance	20% of the basic pay+D.A. thereon. Subject to the condition that the sum of basic pay & N.P.A. does not exceed Rs. 2,37,500/-	Not admissible for Senior Demonstrator.
4	Transport Allowance including for Handicapped	Rs. 7200/- P.M. + D.A. thereon for pay level-9 & above. For handicapped employees the Transport Allowance at double the normal rate.	-----

r@vl.nlg

RA  
28/03/19

28/03/2019



Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences  
Raebareli Road, Lucknow 226 014

FAX: 91-522-2668017, 2668129  
Email: registrar@saggi.ac.in

Phones: 91 (522) 24945511

PGI/ER/ACAD/ 1903 /2019

Date: 27-03-19

5	Book Allowance (Reimbursable)	For Senior Residents Rs. 3000/- (per year) For Junior Residents Rs. 2000/- (per year) Pre revised to be continued till revision of 7 <sup>th</sup> CPC.	Not admissible for Senior Demonstrator.
6	Thesis Allowance to Junior Residents for submission of Thesis (Financial Assistance)	Rs. 5000/- one time lump-sum to meet the expenditure on writing thesis.	-----

उक्त शासनादेश दिनांक 09 मार्च 2019 में जो भत्ते अनुमन्य नहीं है, परन्तु उनका भुगतान अद्यतन किया जा रहा है, ऐसे भत्तों का समायोजन किये जाने के आदेश भी पारित किये जाते हैं।

सलग्नक:-

उ० प्र० शासनादेश सं० 24/2019/556/71-2-2019- के०जी०एम०यू०-14/2018  
दिनांक 09 मार्च 2019 की प्रति तालिका सहित।

(प्र० राकेश कपूर)  
निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अपर निदेशक, पी०जी०आई०।
- 2 संकायाध्यक्ष, पी०जी०आई०।
- 3 कार्यपालक कुलसचिव, पी०जी०आई०।
- 4 वित्त अधिकारी, पी०जी०आई० को उपरोक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 5 विभागाध्यक्ष, बी०एच०आई० को इस आशय से उपरोक्त आदेश को संस्थान की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करे।
- 6 समस्त नोटिस बोर्ड।
- 7 गार्ड फाईल।
- 8 सम्बन्धित पत्रावली

(प्र० राकेश कपूर)  
निदेशक

प्रेषक

डा0 रजनीश दुबे,  
प्रमुख सचिव,  
30प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक,  
एस0जी0पी0जी0आई0,  
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 09 मार्च, 2019

विषय- संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के रेजीडेंट्स डाक्टर्स (सीनियर रेजीडेंट्स/जूनियर रेजीडेंट्स)/सीनियर डिमान्स्ट्रेटर को एम्स, नई दिल्ली के समतुल्य भते प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-PGI/ER/ACAD/1018/2019, दिनांक 19-02-2019 का सदभे ग्रहण करने का कष्ट करे।

2- संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के रेजीडेंट्स डाक्टर्स (सीनियर रेजीडेंट्स /जूनियर रेजीडेंट्स) एवं संकायी सदस्यों को शासनादेश संख्या-832/71-2-18-पी-38/2017, दिनांक 27 मार्च, 2018 द्वारा 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स दिनांक 01-01-2016 से अनुमन्य किये जाने के आदेश निर्गत किये गये।


3- 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में संलग्न तालिका के अनुसार एस0जी0पी0जी0आई0 के रेजीडेंट्स डाक्टर्स एवं सीनियर डिमान्स्ट्रेटर को उन्हीं दरों एवं शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार दिनांक 01/01/2017 से भत्ते अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिस प्रकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में अनुमन्य किये गये हैं।

4- निदेशक/वित्त नियंत्रक, एस0जी0पी0जी0आई0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भत्तों की दर, शर्तें एवं प्रतिबन्ध तथा अनुमन्यता की तिथि एवं प्रक्रिया वही हो, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में अनुमन्य हो।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,

( डा0 रजनीश दुबे )  
प्रमुख सचिव।



संख्या- 4/2019/556(1)/71-2-19-तदिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 इलाहाबाद
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, 30प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. आई फाइल।

SH MKS/SH VKR

12/3/19  
11: AM  
13-3-19

Dean/ER/Gouthik  
FO.

Prof. Rakesh Kapoor  
Director  
All India Post Graduate Institute

RECEIVED

आज्ञा से

( कुलदीप कुमार रस्तोगी )  
उप सचिव।

2019

13/03/19

शासनादेश संख्या-<sup>24</sup>/2019/556/71/2-2019- के0जी0एम0यू0-14/2018, दिनांक-09-03-2019 का संलग्नक

(1) एस0जी0पी0जी0आई0 के रेजीडेंट्स डाक्टर्स एवं सीनियर डिमास्ट्रेटर को अनुमन्य किये जाने वाले भत्ते:-

क्र0	भत्ते का नाम	दर	अभ्युक्ति
1	Dearness Allowance	9% of the basic pay	
2	House Rent Allowance	16% of basic pay excluding N.P.A.	As provided by AIIMS, New Delhi vide No.F-20-1/2018(A)-Estt.I, dated 14/01/2019. The rates of HRA will not be less than Rs.3600/-p.m. The rates of HRA will be revised to 18% when D.A. crosses 25% and further revised to 20% when D.A crosses 50% <b>Note: If the accommodation will be provided on the SGPGI Campus. The H.R.A. is not admissible.</b>
3	Non Practicing Allowance	20% of the basic pay+D.A thereon. Subject to the condition that the sum of basic pay and N.P.A. does not exceed Rs. 2,37,500/-	Not admissible for Sr. Dempnstrator
4	Transport Allowances including for Handicapped	Rs. 7200/-p.m.+DA thereon for pay level-9 and above. For handicapped employees the Transport Allowance at double the normal rate.	
5	Book Allowance (Reimbursable)	For SR. Rs. 3000/- (per year) For JR. Rs. 2000/- (per year) Pre revised to be continued till revision of 7 <sup>th</sup> CPC.	Not admissible for Sr. Demonstrator
6	Thesis Allowance to JRs for submission fo Thesis (Financial Assitance)	Rs. 5000/- one time lump-sum to meet the expenditure on writing thesis.	

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)  
उप सूचिव।